न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन) गोण्डा।

सामान्य वाद संख्या- 1326/2021

UP ID. No-2433

प्रेमनाथ तिवारी आदि बनाम श्रीमती शकुन्तला देवी

दिनांक 13.12.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत पत्रावली दावा वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा हेतु संस्थित की गयी थी।

वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 10 क/1 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण द्वारा यह वाद स्थायी निषेधाज्ञा हेतु संस्थित किया गया था। प्रतिवादिनी द्वारा वादीगण के विवादित भूमि पर कब्जे में कोई मदालखत नहीं कर रही हैं। ऐसी स्थिति में दावा का संचालन किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं हो रहा है। विवादित भूमि वादीगण के बैनामें की भूमि है तथा कब्जा व दखल वादीगण का बरकरार है। अतः न्यायहित में वादीगण को प्रस्तुत वाद को वापस लेने की अनुमति दिये जाने के साथ पुनः वाद पत्र प्रस्तुत करने की प्रार्थना की गयी है। प्रतिवादिनी अभी तक हाजिर पत्रावली नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादीगण उक्त वाद वापस लेना चाहते हैं। प्रतिवादिनी अभी तक पत्रावली में हाजिर नहीं हैं। यह विधिक सिद्धांत है कि जब वादीगण स्वयं अपना वाद संचालित नहीं करना चाहता है, तब उसे वाद संचालित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसे में प्रार्थना पत्र 10 क/1 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 10 क/1 स्वीकार किया जाता है। वादीगण का वाद नियमानुसार वापस कर पुनः वाद पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (जू०डि०)
गोण्डा।

Digitally signed by Kavya Singh
Date: 2021.12.18 11:56:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court